रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 5] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3—फरवरी 9, 2007 (माघ 14, 1928)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3—FEBRUARY 9, 2007 (MAGHA 14, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	51
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	83
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	245
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-3--उप-खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	83
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गईं पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	97
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गईं अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	81
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	129
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	51
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	83
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	245
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	83
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	97
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	81
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	129
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 जनवरी 2007

संकल्प

सं. 20012/2/2005-हिन्दी--गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी दिनांक 31 अक्तूबर, 2005 के समसंख्यक संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

क्र. सं.	के स्थान पर	पढ़ा जाए
13.	श्री एस. एम. रामचन्द्रस्वामी, बंगलौर	डा. रवि श्रीवास्तव, जयपुर

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सु. बसु. चट्टोपाध्याय
संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 10 जनवरी 2007

संकल्प

सं. के-12012/5/16/2006-पी एण्ड आर--अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के समसंख्यक संकल्प के तहत् 2 वर्ष की अवधि के लिये किया गया था। भारत सरकार ने श्री नरेन्द्र चौधरी, कुचेसर रोड, चोपला, हापुड़ जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में नए गैर-सरकारी सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि 8 सितम्बर, 2006, 23 अक्तूबर, 2006, 22 एवं 27 नवम्बर, 2006, 5, 12, 21 एवं 22 दिसम्बर, 2006 एवं जनवरी, 2007 के संकल्प के तहत् गठित मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

पुनर्गठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य-सचिव सहित 24 सरकारी सदस्य तथा 33 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 58 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दिए गए अन्य निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा. संदीप श्रीवास्तव
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

संकल्प

विषय : ''इस्पात उपभोक्ता परिषद'' के गठन के बारे में।

सं. 5(3)/2004-डी-I (.)--इस्पात मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 नवम्बर, 2006 के संकल्प संख्या-5(3)/2004-डी-I के माध्यम से दिनांक 24 मार्च, 2006 के समसंख्यक संकल्प के अनुसार पुनर्गठित इस्पात उपभोक्ता परिषद के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 मार्च, 2006 के संकल्प के पैरा संख्या 7 के तहत ''इस्पात उपभोक्ता परिषद'' में संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति को एतद्द्वारा नामित किया जाता है :--

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नामित सदस्य (सदस्यों) का नाम एवं पता	अभ्युक्ति
दादरा एवं नागर हवेली	श्री बिपुल कुमार ए. सिंह, 201, श्री कृष्णा चैंबर, चानोद कॉलोनी, जी.आई.डी.सी. वापी, जिला वलसाड-396 195 गुजरात।	श्री प्रभु भाई पटेल, ग्राम मसाड, पादरी फालिया, सिलवासा, दादरा एवं नागर हवेली के स्थान पर

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित राज्यों, प्रधान मंत्री कार्यालय सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद सचिवालय, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा ''इस्पात उपभोक्ता परिषद'' के सभी सदस्यों को भेज दी जाए।

3. यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

कुमार अरविंद सिंह देव
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2007

संकल्प

सं. 2-24/93-पी.एन. I(पार्ट)--भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रभारी मंत्री को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब), जिसे दिनांक 6 जुलाई 2004 के इस विभाग के संकल्प सं. 2-24/93-पी.एन.-I के जरिए पुनर्गठित किया गया था, में भारत सरकार के प्रतिनिधि की श्रेणी के अन्तर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है।

दिनांक 6 जुलाई 2004 के उक्त संकल्प का संलग्नक अब श्रेणी सं. 3 'भारत सरकार के प्रतिनिधि' में उक्त नाम जोड़ने की सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सर्व साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग की सभी संस्थाओं/संगठनों आदि को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए।

केशव देसिराजू
संयुक्त सचिव

दिनांक 17 जनवरी 2007

सं. एफ. 9-46/2004-यू.3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, वघोड़िया तालुक, जिला वडोदरा (गुजरात), जिसमें इसके निम्नलिखित संघटक शैक्षिक संस्थान शामिल हैं, को एतद्द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अस्थाई रूप से 5 वर्षों की अवधि के लिये, नई श्रेणी के अन्तर्गत, सुमनदीप विद्यापीठ की संघटक संस्थाओं द्वारा अपने आपको इस समय संबद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अर्थात् गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से असम्बद्ध कर लेने की तिथि से सम-विश्वविद्यालय घोषित करती है :--

(क) के. एम. शाह डेन्टल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ग्राम पिपरिया, वघोड़िया तालुक, जिला वडोदरा (गुजरात),

(ख) के. जे. पाण्ड्या कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, ग्राम पिपरिया, वघोड़िया तालुक, जिला वडोदरा (गुजरात),

(ग) एस. बी. के. एस. मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर, ग्राम पिपरिया, वघोड़िया तालुक, जिला वडोदरा (गुजरात), तथा

(घ) सुमनदीप नर्सिंग कॉलेज, ग्राम पिपरिया, वघोड़िया तालुक, जिला वडोदरा (गुजरात)।

पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात्, नई श्रेणी हेतु निर्धारित मानदंडों के तहत 5 वर्ष की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति की वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट के आधार पर सुमनदीप विद्यापीठ को स्थायी रूप से 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान किया जाएगा।

(2) यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्र. सं. 7 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

(3) भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सुमनदीप विद्यापीठ, ग्राम पिपरिया, वघोड़िया तालुक, जिला वडोदरा (गुजरात) अथवा इसके किसी भी संघटक संस्थान को कोई योजनागत या योजनेत्तर अनुदान प्रदान नहीं करेंगे।

केशव देसिराजु
संयुक्त सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जनवरी 2007

संकल्प

सं. 11015(2)/2004-हिन्दी--तत्कालीन अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के दिनांक 12 अप्रैल, 2005 के संकल्प सं. 11015(2)/2004-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए, उसमें उल्लिखित हिन्दी सलाहकार समिति के गठन में निम्नलिखित प्रविष्टि/प्रतिस्थापन एतद्द्वारा की जाती है :--

(1) क्रम सं. 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जाता है :--

'3' श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, संसद सदस्य (राज्य सभा).....सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार (वाणिज्य, निर्माण एवं विविध), राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए इ संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुनील
संयुक्

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 15th January 2007

RESOLUTION

No. 20012/2/2005-Hindi.—The following amendment is made in the Resolution of even number dated 31st October, 2005 regarding reconstitution of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Home Affairs.

Sr. No.	For	Read
13.	Sh. S. M. Ramachandraswami, Bangalore	Dr. Ravi Srivastava, Jaipur

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries and Deptts. of the Govt. of India, President Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. CHATTOPADHYAY

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 10th January 2007

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2006-P&R/6065.—The All India Handicrafts Board was reconstituted vide resolution of even No. dated 08th September, 2006 for a tenure of two years. The Government of India has decided to induct Shri Narender Choudhary, Kuchesur Road Chopla, Hapur, Dist. Ghaziabad (U.P.), as new non-official Member in the All India Handicrafts Board while retaining all officials and non-official Members of the existing All India Handicrafts Board constituted vide resolution dated 08th September, 2006, 23rd October, 2006, 22nd & 27th November, 2006 and 5th, 12th, 21st & 22nd December, 2006 and 5th January 2007.

The present strength of the Board shall be 58 Members comprising of Chairman, 24 official Members including Member Secretary and 33 non-official Members in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the resolution dated 08th September, 2006, will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

Dr. SANDEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 29th December 2006

RESOLUTION

Subject : Constitution of Steel Consumers' Council—regarding.

No. 5(3)/2004-D-I (.).—Ministry of Steel through its Resolution No. 5(3)/2004-DI dated 20th November, 2006 has extended the terms of Steel Consumer Council reconstituted vide its Resolution of even number dated 24th March, 2006. The following representative of Union Territory of Dadra & Nagar Haveli to Steel Consumers' Council is hereby nominated, under Para 7 of Ministry of Steel's Resolution dated 24th March, 2006.

State/U.Ts	Name & address of the nominated member(s)	Remarks
Dadra & Nagar Haveli	Shri Bipul Kumar A. Singh, 201, Shree Krishna Chamber Chanod Colony, G.I.D.C. Vapi, Distt. Valsad, Gujarat - 396 195	Vice Shri Prabhu Bhai Patel, Village Masad Padri Falia, Silvasa, Dadra & Nagar Haveli

ORDER

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

2. Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

KUMAR ARVIND SINGH DEO
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 16th January 2007

RESOLUTION

No. 2-24/93-P.N.I (Pt.).—The Government of India have decided to include the Minister in charge of the Ministry of Women and Child Development under the category of representatives of the Government of India in the Central Advisory Board of Education (CABE) reconstituted vide this Department's Resolution No. 2-24/93-PN.I dated 6th July, 2004.

The Annexure to the aforesaid Resolution dated 6th July, 2004 will stand modified to the extent of incorporating the above addition under the category No. 3 'Representatives of the Government of India.'

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Union Territories Administration, Universities, Institutions/Organisations of the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development etc. for information.

KESHAV DESIRAJU
Joint Secy.

New Delhi, the 17th January 2007

No. F. 9-46/2004-U. 3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare Sumandeep Vidyapeeth, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat) comprising the following constituent teaching Institutions, as a 'Deemed to be University' under *de novo* category, for the purpose of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years with effect from the date of disaffiliation of the four constituent Institutions mentioned below from the affiliating university, Gujarat University Ahmedabad :—

(a) K. M. Shah Dental College and Hospital, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),

(b) K. J. Pandya College of Physiotherapy, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat),

(c) S. B. K. S. Medical Institute and Research Centre, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat), and

(d) Sumandeep Nursing College, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat).

After the period of five years, the status of 'Deemed to be Univeristy' conferred upon the Sumandeep Vidyapeeth shall be confirmed on the basis of performance report of the UGC Review Committee done annually for a five year period as per norms under *de novo* category.

2. This declaration is subject to the conditions mentioned at Sl. No. 7 of the endorsement of this notification.

3. Government of India or the University Grants Commission will not provide any Plan or Non Plan grants to Sumandeep Vidyapeeth, Village Piparia, Taluka Waghodia, District Vadodara (Gujarat) or any of its constituent institutions.

KESHAV DESIRAJU
Joint Secy.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 16th January 2007

RESOLUTION

No. 11015(2)/2004-Hindi.—In partial modification of the then Ministry of Non-Conventional Energy Sources Resolution No. 11015(2)/2004-Hindi, dated April 12, 2005, the following entry/substitution is hereby made in the composition of the Hindi Salahakar Samiti :—

(i) The following entry is substituted as Sl. No. 3

'3' Shri Praveen Rashtrapal, Member of Parliament (Rajya Sabha)—Member

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General (Commerce, Works and Miscellaneous), Rajya Sabha/Lok Sabha Secretariats, Planning Commission, President's Secretariat and all the Ministries/Departments of the Govt. of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUNIL KHATRI
Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007